

(c) the measures proposed to put a halt to the height of the Dam and stop construction of the crest gate?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) to (c) Bachawat Tribunal Award has not specified the height of Almatti Dam. Centre would have no objection to any consensus decision arrived at without violating the Tribunal Award.

Declaring Dumariaganj As Flood Affected Area in Uttar Pradesh

2707. SHRI RAM NATH KOVIND:
DR. RANBIR SINGH:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have been requested to declare Dumariaganj in Siddharthanagar district of Uttar Pradesh as a flood affected area;

(b) if so, the details thereof?

(c) whether any action has since been taken on these requests; and

(d) if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.

Allocation of Fund for the Accelerated Irrigation Benefits Programme

2708. SHRI P. SOUNDARAJAN:
SHRI O.S. MANIAN:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is fact that Rs. 27.70 crores has been allocated for the Accelerated Irrigation Benefits Programme for five States;

(b) if so, whether Tamil Nadu has been provided with such funds; and

(c) if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF WATER

RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) to (c) An amount of Rs. 818.50 crores has been approved as Central Loan Assistance (C.L.A.) under the Accelerated Irrigation Benefit Programme (A.I.B.P) during 1996-97 for 52 projects of 18 States out of which an amount of Rs. 40.00 crores has been allocated to Tamil Nadu.

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना

2709. श्री अजीत जोगी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कौन-कौन सी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य अपनी निर्धारित समय-सीमा से पीछे है;

(ख) इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) और (ख) वृहद परियोजनाओं के लिए 10 वर्षों तथा मध्यम परियोजनाओं के लिए 5 वर्षों की सामान्य कार्यन्वयन अवधि मानते हुए मध्य प्रदेश में 22 वृहद एवं 34 मध्यम परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। इन परियोजनाओं की मूल अनुमानित लागत और नवीनतम अनुमानित लागत सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)। परियोजनाओं के पूरे होने में कोषों की कमी, भूमि अधिग्रहण, परियोजना के कारण बेदखल हुए लोगों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, वन एवं पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति, अपर्याप्त अन्वेषण और परियोजनाओं की सीमा में परिवर्तन के कारण विलंब होता है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत तीन चाल रही परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को 86.00 करोड़ रुपए की धनराशि केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में अनुमोदित की है।